फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद संख्या :– 55/2025

उनवान

1.हरफुल पुत्र रूडाराम
2.कालुराम पुत्र साधुराम
समस्त जाति जाट निवासी ढाणी खारिया की तन कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार(भूधारक) जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर(राज)
2. प्रबन्धक दी ओरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस हाल पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर
3 प्रबन्धक युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा जिला जयपुर
4.प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक हाल राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा –शाहपुरा जिला जयपुर

–अप्रार्थीगण

3.हरलाल पुत्र रूडाराम
4.प्रेम पुत्र सीताराम
5.धुडाराम पुत्र भेभाराम
6.कालूराम पुत्र भेभाराम
7.मिश्री पुत्री भेभाराम
8.हरिप्रसाद पुत्र भेभाराम
9.ओमप्रकाश पुत्र रूडाराम
10.जगदीश पुत्र जयराम
11.झूंथा पुत्र रामनाथ
12.फूला पुत्र महादेव
13.भैरूराम पुत्र महादेव
14.रामनारायण पुत्र महादेव
15.हरदेव पुत्र भंवरा
16.अर्जुन पुत्र प्रभात
17.ओमप्रकाश पुत्र प्रभात
18.भीवा पुत्र प्रभात
19.शिम्भू पुत्र प्रभात
20.सुरजी पत्नि प्रभात
21.धोलु पुत्र सुन्दर
22. श्योदान पुत्र सुन्दर
23.प्रकाश पुत्र गिरधारी
24.बिरदी देवी पत्नि गिरधारी
25.रतनलाल पुत्र गिरधारी
26.जगदीश पुत्र जयराम नाबालिंग जरिये संरक्षक माता मंजूबाला

27. मंजूबाला पत्नि जयराम
समस्त जाति जाट निवासी खारिया की तन कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

— तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 21/5/26

उपस्थितः— प्रार्थीया अधिवक्ता रणवीर कपूरिया

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की कृषि भूमि हाल
आराजी के हाल खसरा नं0–594, 593, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 620, 621, 623,
625, 622, 596, कुल किता 14 भूमि वाकै ग्राम कांट पटवार हल्का कांट भू0 अभि0 क्षेत्र
कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि में प्रार्थीगण का सम्पूर्ण हिस्सा
राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित हैं।प्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त
व अपने उपयोग—उपभोग में लेते आ रहे हैं। पडौसी खातेदार की भूमि प्रार्थीगण की
खातेदारी भूमि से लगती हुई होने के कारण सींव डौल का विवाद करते रहते हैं इस
कारण प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का दिनांक 21.07.22 को तहसीलदार शाहपुरा जिला
जयपुर के आदेश कमांक/सीमा/2022/59 दिनांक 14.06.2022 एवं दिनांक 18.04.23
को तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर के आदेश कमांक/सीमा/2022/59 दिनांक 14.
06.2022 के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान पटवार हल्का कांट भू0अ0 निरीक्षक
कांट व मौके पर उपस्थित खातेदारों की मौजूदगी में किया गया जिसमें प्रार्थीगण अपनी
भूमि की सीमा तक हाल आबाद काबिज काश्त हैं । उक्त सीमाज्ञान कराने के बाद
प्रार्थीगण उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की स्थायी सीमा चिन्ह(पत्थरगढी)करवाया जाना
आवश्यक हो गया हैं ।प्रार्थीया द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने के बावजूद प्रार्थीगण की
उक्त वर्णित आराजी के पास स्थित भूमि पर पडौसी खातेदारान द्वारा प्रार्थीगण की उक्त
भूमि की सीमाओ पर सींव,डोल आदि का विवाद करते रहते हैं एवं भूमि की सीमाओं को
काटने पर आमादा रहते हैं ।इस कारण प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के आधार पर अपनी
भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता हैं ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना—पत्र पेश होने पर रिर्पोट सरिस्ता ली जाकर तथा प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 4 एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 3 लगा0 27 को जरिये रजि0 ए.डी नोटिस जारी किया गया नोटिस तामील होने के बावजूद अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 4 एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 3 लगा0 27 अनु0 ना ही कोई जवाब पेश किया हैं जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया गया अंतिम अवसर देने के बावजूद अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 4 एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 3 लगा0 27 अनु0 ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं ।

वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना—पत्र बाबत पत्थरगढी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना—पत्र पत्थरगढी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया वकील प्रार्थीया को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यो एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीवडोल काटने से आये दिन होने वाले विवादो की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार हैं। तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद,सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचाव का यह एक उपाय है।जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमाचिन्ह

सुरक्षा आदि उपाय नही कर सकते हैं।मौके पर सीमाज्ञान होने से प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि हाल आराजी के हाल खसरा नं0-594, 593, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 620, 621, 623, 625, 622, 596, कुल किता 14 भूमि वाकै ग्राम कांट पटवार हल्का कांट भू0 अभि0 क्षेत्र कांट तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुये एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुये उनकी उपस्थिति के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 21.07.2022 एवं 18.04.2023 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिया जाता है । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/5/26 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)